

दिनांक 20.10.2014 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय वरीय पदाधिकारियों के कार्यों का साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

कार्यवाही :-

1. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा कृषि विभाग के समीक्षा हेतु तैयार किये गये सॉफ्ट कॉपी का समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ योजनाओं का आकड़ा की प्रवृष्टि नहीं की गई थी। निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारी अपनी योजनाओं का प्रवृष्टि अद्यतन कर दें।
2. केन्द्र प्रायोजित योजना के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण कराकर उसका प्रतिवेदन भेजकर द्वितीय किस्त की राशि की मांग का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नवम्बर, 2014 में एवं तृतीय किस्त का प्रस्ताव दिसम्बर, 2014 में भारत सरकार को भेज दिया जाय।
3. कृषि विश्वविद्यालय के निकासी के संबंध में श्री अनील कुमार झा, कृषि विशेषज्ञ द्वारा बताया गया कि कुछ जानकारी की मांग विश्वविद्यालय से की गई थी, जो प्राप्त हो गया। श्री झा एवं संयुक्त सचिव को निदेश दिया गया कि बैठक समाप्ति के बाद संबंधित पदाधिकारी के साथ कार्यालय कक्ष में संचिका के साथ आयेंगे।  
कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के संबंध में बताया गया कि संचिका वित्त विभाग गई है। श्री झा को निदेश दिया गया कि वित्त विभाग से सम्पर्क कर शीघ्र कराये।
4. मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार एवं बीज ग्राम योजना के संबंध में बताया गया कि योजना स्वीकृति हेतु संलेख मंत्री परिषद को भेजा जा रहा है।
5. कृषि यांत्रिकीकरण के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना की संचिका वित्त विभाग गई है। निदेश दिया गया कि वित्त विभाग से सम्पर्क कर संचिका का त्वरित निष्पादन कराया जाय। एक पत्र सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निर्गत करें कि 01.04.2014 को जो राशि कृषि यांत्रिकीकरण योजना में शेष बची है, उसे इसी योजना में व्यय किया जाय।
6. बीज प्रमाणन एजेन्सी के योजना के संबंध में बताया गया कि 1.15 करोड़ की राशि भवन निर्माण को भेजा दिया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित संचिका निदेशक, कृषि के समक्ष उपस्थापित है।
7. मुख्य लेखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि किसान आयोग के आवंटित राशि की निकासी नहीं हो पायी है, समीक्षा कर राशि निकासी कर लिया जाय।

